# झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

**बी0 ए0 संख्या–01 / 2020**

शत्रुघ्न सिंह मुंडा उर्फ शत्रुघ्न सिंह मुंदरा .... .... याचिकाकर्त्ता

बनाम

झारखण्ड राज्य .... .... विपक्षी पार्टी

**कोरम :**

याचिकाकर्त्ता के लिएः श्री शिव कुमार सिंह, अधिवक्ता।

विरोधी पक्ष के लिए : श्री मोती गोप, अपर लोक अभियोजक।

04 / 24.01.2020 पार्टियों को सुना।

याचिकाकर्त्ता चाण्डिल थाना काण्ड संख्या 42 वर्ष 2010, जी0 आर0 संख्या 337 वर्ष 2010 (एस0) मामले के संबंध में एक आरोपी है।

यह आरोप लगाया गया है कि बदमाशों ने अंदर प्रवेश किया था। कामगार और प्रबंधक के लिए भुगतान के रकम के साथ फरार हो गया। यह आरोप लगाया गया है कि उन्होनें सूचक और प्रबंधक के मोबाइल सेट को छीन लिया था।

याचिकाकर्त्ता के अधिवक्ता ने कहा कि कोई टी0 आई0 पी0 नहीं किया गया है और याचिकाकर्त्ता के कब्जे से कोई वसूली नहीं हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ सह–अभियुक्त व्यक्तियों को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया है। याचिकाकर्त्ता 29.05.2018 से हिरासत में है।

उपरोक्त तथ्यों के ओलोक में, उपरोक्त याचिकाकर्त्ता को 10,000/– (दस हजार रूपये) के जमानत बॉण्ड एवं समान राशि के दो प्रतिभु प्रस्तुत करने पर एवं विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, द्वितीय के संतुष्टि पर चाण्डिल थाना काण्ड संख्या–42/2010 एवं जी0 आर0 संख्या–337/2010 (एस0) में रिहा करने का आदेश दिया जाता है।

ह0

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)